

संख्या - 004/वी.जी.एल/90  
भारत सरकार  
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए  
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,  
आई.एन.ए,  
नई दिल्ली-110023  
दिनांक: 01.05.2008

परिपत्र संख्या 17/4/08

विषय: संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में परिवर्तन ।

आयोग के दिनांक 15.4.99 तथा 2.11.01 के परिपत्र सं-98/वी.जी.एल/60 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. आयोग ने दिनांक 15.4.99 के परिपत्र द्वारा मंत्रालय/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से अपने संगठनों में संवेदनशील पदों की पहचान करने तथा पहचाने गए पदों की सूची, आयोग को भेजने के लिए कहा था । इसके अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों का प्रत्येक दो/तीन वर्षों में परिवर्तन किया जाए ताकि निहित स्वार्थ उत्पन्न होने से रोका जा सके ।

3. इस संबंध में आयोग में अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः मुख्य सतर्कता अधिकारी अब शीघ्रता से यह कार्य पूरा करें तथा अपने संगठन में पहचाने गए संवेदनशील पदों की सूची आयोग को भेजें । यह कार्य 30 जून 2008 तक पूरा किया जा सकता है ।

-ह0/-  
(राजीव वर्मा)  
अवर सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी